राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम

कार्यालय मुख्य प्रबंधक फालना आगार

बाली रोड़ खुडाला (फालना) – 306116   E – mail :- rsrtc.cmfln@yahoo.com

क्रमांक :- वित्त / निविदा / 2026 / 561   दिनांक :- 06/01/2026

-: निविदा सूचना :-

<u>निगम के बस स्टेण्डो पर केन्टीन / स्टॉल / बूथ लाइसेंस पर लेने का सुनहरा अवसर</u>

फालना आगार के अधीनस्थ सांडेराव बस स्टैंड पर निम्नलिखित स्टॉल / बूथ हेतु लाईसेंसी नियुक्त किया जाना है -

क्र.सं.	स्टॉल की प्रकृति	साइज़	विशेष विवरण
1	केन्टीन स्टॉल	11 x 08 वर्ग फीट	स्वयं का केबिन लगाना होगा
2	जनरल स्टोर	08 x 06 वर्ग फीट	स्वयं का केबिन लगाना होगा

निविदा प्रपत्र एवं शर्तें निर्धारित राशि रूपये 500 /- नकद जमा करवा कर निम्न हस्ताक्षरकर्ता के कार्यालय से प्राप्त किये जा सकते है। निविदा प्रपत्र के साथ निर्धारित धरोहर राशि रूपये 20,000 /- (अक्षरे राशि रूपये बीस हजार मात्र) नकद अथवा डी.डी. / बैंकर्स चेक मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, फालना आगार के नाम के हो, के रूप मे जमा करानी होगी। निर्धारित धरोहर राशि जमा कराये बिना प्रस्ताव मान्य नहीं होंगे।

इस सम्बन्ध में विस्तृत विवरण उपापन पोर्टल sppp.rajasthan.gov.in एवं निगम की वेबसाइट transport.rajasthan.gov.in / rsrtc पर प्राप्त किया जा सकता है। सभी अद्यतन जानकारी हेतु निविदादाता इन वेबसाइट पर समय - समय पर विजिट करते रहे।

इच्छुक व्यक्ति / संस्थान अपने प्रस्ताव दिनांक 14.01.2026 को मध्याह्न पश्चात् 15.00 बजे तक निम्न हस्ताक्षरकर्ता के समक्ष सील्ड लिफाफे में प्रस्तुत कर सकते है जो उसी दिन सांय 15.30 बजे उपस्थित निविदादाताओं के समक्ष खोले जायेंगे। किसी भी प्रस्ताव या सभी प्रस्तावों को बिना कारण बताये अस्वीकार करने का निगम को पूर्ण अधिकार होगा।

(रूचि पंवार)
मुख्य प्रबंधक, फालना आगार

क्रमांक :- वित्त / निविदा / 2026 / 561   दिनांक :- 06/01/2026

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. श्रीमान उपमहाप्रबंधक (आई.टी.) रा.रा.प.प.नि. मुख्यालय, जयपुर को प्रेषित कर निवेदन है कि निविदा विज्ञप्ति को निगम की वेबसाइट पर अपलोड करावें।
2. नोटिस बोर्ड CBS फालना / सांडेराव बस स्टैंड / नगर पालिका खुडाला-फालना।
3. नोटिस बोर्ड, बुकिंग कार्यालय फालना / सांडेराव / बाली / सादड़ी / देसुरी।
4. कार्यालय प्रति।

मुख्य प्रबंधक, फालना आगार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम फालना आगार

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम फालना आगार एवं इसके अधीनस्थ बस स्टैंड पर स्टॉल / बूथ आवंटन हेतु निविदा प्रपत्र
(यह प्रपत्र अहस्तान्तरणीय है तथा जिसके पक्ष में यह जारी किया जावे उसी के प्रयोजनार्थ है)

निविदा प्रपत्र संख्या :- दिनांक :-

निविदा प्रपत्र की राशि जमा रूपये...................... / - (अक्षरे..रूपये मात्र)

नकद / रसीद संख्या.................................. दिनांक :-

मुख्य प्रबंधक, फालना आगार

---

1. फ़र्म / व्यक्ति का नाम एवं पता :- --

   ----

2. टेलीफोन नंबर :- कार्यालय --

   निवासं --

3. टेलेक्स / फैक्स नम्बर :- --

4. व्यावसायिक अनुभव एवं उसका विवरण :- --

   ----

5. धरोहर राशि :- --

6. धरोहर राशि का निगम कोष में राशि जमा रसीद सं. / डी.डी. / बैंकर्स चेक नम्बर :- ------------------------------------

   दिनांक :- ------------------------------------

7. देय लाइसेंस शुल्क राशि रूपये (प्रतिमाह) :- --

   (अक्षरे राशि --रूपये मात्र)

8. निगम में अन्य बस स्टैंड पर पूर्व में स्टॉल / बूथ का आवंटन हुआ है तो उसका पूर्ण विवरण :- -------------------------

   ----

9. निविदादाता के बैंक खाते का विवरण (बैंक नाम, खाता सं., IFSC इत्यादि) :- ------------------------------------

   ----

10. निविदादाता की चल एवं अचल सम्पति का विवरण (सत्यापित प्रति सहित) :- ------------------------------------

    ----

    ----

11. अन्य विवरण :- --

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद / हैसियत / मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम फालना आगार

घोषणा - पत्र

(निविदादाता द्वारा इस घोषणा - पत्र को भरकर हस्ताक्षर किये जाने अनिवार्य है।)

1. मैं / हम निगम कोष में जमा रसीद संख्या / डी.डी. / बैंकर्स चेक संख्या..................................दिनांक.................. राशि रूपये ....जो की मुख्य प्रबंधक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, फालना आगार के नाम से देय है, सलंग्न कर रहे है / कर दिया है।

2. मैंने / हमने निगम की समस्त शर्तों को सावधानीपूर्वक पढ़ लिया है / सुन लिया है तथा इन सभी शर्तों की पालना का वचन देता हूँ / देते है। हमारा प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है तो मैं / हम निगम के साथ लाइसेंसी आधार पर अनुबन्ध पर हस्ताक्षर कर दूंगा / देंगे।

3. मैं / हम घोषणा करता हूँ / करते है कि मैंने / हमने जो प्रस्ताव प्रस्तुत किये है उसमें किसी अन्य संस्थान को कोई सरोकार नहीं है तथा यह प्रस्ताव किसी अन्य व्यक्ति / संस्थान की तरफ से नहीं दिए गए है।

दिनांक :-

हस्ताक्षर निविदादाता
मय पद / हैसियत / मोहर सहित

राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम फालना आगार

निविदा शर्तें

निविदा शुल्क..................................रुपये मात्र

निविदा दिनांक...

निविदा प्राप्ति समय...

निविदा खोलने का समय..

केन्टीन / स्टॉल / बूथ के आवंटन / संचालन की शर्तें निम्नलिखित है –

1. निगम परिसर में दुकान / स्टॉल / खाली स्थान अस्थायी लाइसेंस पर प्रथमतः एक वर्ष के लिए दी जावेगी, एक वर्ष की समाप्ति पर लाइसेंसी के विरुद्ध कोई राशि बकाया नहीं होने / संतोषजनक सेवाएं रहने पर लाइसेंस फीस में 10 प्रतिशत चक्रवृद्धि दर से वृद्धि करते हुए नवीनीकरण किया जा सकेगा। जिन स्टॉलों की मासिक लाइसेंस फीस 50,000 /-रू से कम है, उन स्टॉलों का लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम तीन वर्ष तक तथा जिन स्टॉलों की मासिक लाइसेंस फीस 50,000 /-रू अथवा इससे अधिक है तो उन स्टॉलों का लाइसेंस नवीनीकरण अधिकतम पांच वर्ष तक की अवधि के लिए किया जा सकेगा। उक्त लाइसेंस अवधि समाप्ति के दो माह पूर्व पुनः खुली निविदा आमंत्रित कर नये उच्चतम निविदादाता को दिशा – निर्देशानुसार समय पर स्टॉल आवंटन की कार्यवाही की जा सकेगी। अनुज्ञा की अवधि समाप्ति पर लाइसेंसी द्वारा स्वतः ही बिना सूचना / नोटिस प्राप्त हुए निगम को दुकान / स्टॉल / बूथ खाली कर कब्ज़ा संभलवाना होगा। लाइसेंसी द्वारा किसी न्यायालय में निगम के विरुद्ध वाद दायर नहीं किया जा सकेगा।
2. लाइसेंस पर दुकान / स्टॉल / बूथ / खाली स्थान लेने हेतु लाइसेंसी को 100 /-रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर निर्धारित शर्तों के अनुरूप लिखित में अनुबन्ध करना होगा।
3. लाइसेंस पर दी गयी दुकान / स्टॉल / बूथ पर व्यवसाय करने हेतु केवल नीचे दी गयी सामग्री का ही बेचान किया जा सकेगा, इसके अतिरिक्त अन्य किसी सामग्री का बेचान नहीं किया जावेगा –

   i. ....

   ii. ....

   iii. ....
4. निविदा पत्र के साथ धरोहर राशि .... /-रूपये (अक्षरे राशि......................................रूपये मात्र) की डी.डी. / बैंकर्स चेक / नकद जमा की रसीद सलंग्न करनी आवश्यक होगी। लाइसेंस आवंटित होने पर लाइसेंसी को दस दिवस में तीन माह की लाइसेंस फीस के बराबर सुरक्षा राशि की डी.डी. / बैंकर्स चेक / नकद निगम कोष में जमा करानी होगी, उक्त धरोहर एवं सुरक्षा राशि बिना ब्याज़ के लाइसेंस अवधि समाप्ति तक निगम कोष में जमा रहेगी। लाइसेंसी द्वारा लाइसेंस जारी होने के तीस दिवस के अन्दर व्यवसाय आरंभ नहीं करने पर धरोहर एवं सुरक्षा राशि जब्त कर लाइसेंस रद्द कर दिया जावेगा एवं द्वितीय उच्चतम निविदादाता को अथवा पुनः निविदा कर लाइसेंस आवंटन किया जा सकेगा।
5. निगम को अनुबन्ध समाप्ति से पूर्व आवंटित दुकान / स्टॉल / खाली स्थान की आवश्यकता होने पर लाइसेंसी को 24 घंटे के अन्दर अपने स्वयं के खर्चे पर पुरानी जगह से अपना सामान उठाकर वैकल्पिक अन्य नये स्थान पर ले जाना होगा। वैकल्पिक अन्य स्थान की उपलब्धता एवं उसकी व्यावसायिक उपयोगिता को दृष्टिगत रखते हुए उसकी नवीन लाइसेंस दरों के प्रस्ताव आगार स्तरीय समिति द्वारा तैयार किये जावेंगे एवं उसका अनुमोदन जोन के महाप्रबंधक के स्तर से किया जावेगा। जब भी लाइसेंसधारी को पूर्व स्थान से शिफ्ट करना हो तो पहले नियमानुसार उसका लाइसेंस निरस्त किया जावेगा तथा नये स्थान पर आवंटन के लिए पूर्व ऐसे लाइसेंसधारी को प्राथमिकता दी जावेगी। यदि नवीन

लाइसेंस शुल्क / दरों के लिए पूर्व लाइसेंसधारी सहमत ना हो तो ऐसी दशा में उसकी स्थान परिवर्तन के आधार पर प्राथमिकता समाप्त कर दी जावेगी एवं नये स्थान का लाइसेंस भी निर्धारित प्रक्रिया से निविदाएँ आमंत्रित कर आवंटित किया जावेगा ऐसी स्थिति मे यदि लाइसेंसी उचित समझे तो एक माह का नोटिस देकर बिना किसी उत्तरदायित्व के लाइसेंस समाप्त कर सकेगा।

6. लाइसेंसी मासिक लाइसेंस फीस के प्रतिवर्ष (वर्ष आवंटन दिनांक से माना जावेगा) 12 अग्रिम पोस्ट डेटेड चेक जो प्रत्येक माह की सात तारीख को देय होंगे, देगा। माह की सात तारीख तक लाइसेंस फीस जमा नहीं कराने अथवा लाइसेंस की किसी शर्त का पालन करने में असमर्थ रहने पर आगारिय समिति 48 घंटे का नोटिस जारी कर लाइसेंस निरस्त कर सकेगी। लाइसेंस निरस्त किये जाने / वापिस लिए जाने पर लाइसेंसी निगम परिसर को 24 घंटे में खाली कर उसका कब्ज़ा निगम के सक्षम अधिकारी को देगा। ऐसा नहीं किये जाने पर निगम के सक्षम अधिकारी परिसर में प्रवेश कर दुकान / स्टॉल का कब्ज़ा ले लेगा एवं स्टॉल के ताला लगा दिया जावेगा।

7. लाइसेंसी स्वयं के खर्चे पर सम्बंधित विभाग से बिजली, पानी का कनेक्शन प्राप्त करेगा एवं उसका भुगतान स्वयं वहन करेगा। अनुबन्ध समाप्त होने पर आगारिय समिति सम्बंधित विभाग को कनेक्शन बंद करने हेतु सूचित करेगी।

8. आवंटित दुकान / स्टॉल / खाली स्थान पर लाइसेंसी मादक पदार्थ जैसे – शराब, बियर, अफीम, गांजा, चरस एवं सरकार द्वारा प्रतिबंधित पदार्थ न तो रखेगा न ही बेचेगा।

9. लाइसेंसी अपना वयवसाय आवंटित स्थान सीमा में ही कर सकेगा।

10. लाइसेंसी विक्रय किये जाने वाले पदार्थों की मूल्य सूची आगारिय समिति से अनुमोदन कराकर दुकान / स्टॉल पर लगायेगा, जिसे यात्री सुगमता से पढ़ सके। लाइसेंसी आवंटित दुकान / स्टॉल में किसी तरह का परिवर्तन / मरम्मत नहीं करा सकेगा।

11. निगम द्वारा लाइसेंसी को 15 दिवस का लिखित नोटिस देकर लाइसेंस को निरस्त करने का अधिकार होगा, जिसके लिए कारण का उल्लेख किया जाना आवश्यक नहीं होगा।

12. यदि लाइसेंसधारी स्वयं अपना लाइसेंस चालू नहीं रखना चाहे तो उसे कम से कम तीन माह पूर्व सूचना आगार प्रभारी को प्रस्तुत करनी होगी। तीन माह का नोटिस दिए बिना व्यवसाय बंद करने पर उसकी पूर्व में जमा सुरक्षा राशि जब्त कर ली जावेगी।

13. दुकान / स्टॉल / बूथ का लिया गया लाइसेंस अहस्तांतरणीय योग्य होगा एवं सबलेट नहीं किया जा सकेगा।

14. अनुबन्ध के क्रियान्वयन शर्तों एवं अनुबन्ध के निर्विचन के सम्बन्ध में दोनों पक्षों के बीच यदि किसी प्रकार का विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले के निपटारे के लिए परिवहन निगम के अध्यक्ष एकमात्र पंच निर्णायक्र होंगे जिनका निर्णय अंतिम व दोनों पक्षों को मान्य होगा। कोई भी पक्ष मामले / विवाद को पंच निर्णय के लिए प्रस्तुत किये बिना एवं उस पर निर्णय / पंचाट पारित हुए बिना कोई वाद किसी भी न्यायालय में नहीं ले जा सकेंगे। उक्त दोनों पक्ष यह जानते है कि अध्यक्ष निगम के अधिकारी है एवं उनको ही एकल पंच निर्णायक के लिए सहमति व्यक्त करते है। पंच निर्णायक / न्यायालय का कार्य क्षेत्र / कार्य स्थल जयपुर होगा।

15. लाइसेंसी के विरुद्ध किसी भी तरह की बकाया राशि होने की स्थिति में उसकी जमा सुरक्षा राशि में से राशि समायोजित कर ली जावेगी, जो लाइसेंसी द्वारा दो दिवस में बैंक ड्राफ्ट द्वारा पुनः निगम कोष में जमा करानी होगी। ऐसा नहीं करने पर आगारिय समिति द्वारा लाइसेंस निरस्त कर धरोहर राशि जब्त कर अन्य योग्य फर्म को लाइसेंस दे दिया जावेगा।

16. लाइसेंसी द्वारा निगम से समय – समय पर जारी आदेश / शर्तों का पालन किया जावेगा अन्यथा आगारिय समिति को लाइसेंस निरस्त करने का पूर्ण अधिकार होगा, इससे होने वाली हानि के लिए लाइसेंसी स्वयं जिम्मेदार होगा।

17. दुकान / स्टॉल / बूथ पर गुणवत्ता वाले पदार्थों का ही विक्रय किया जा सकेगा।

18. लाइसेंसी द्वारा किये जा रहे वयवसाय पर सरकार द्वारा कोई कर आदि का निर्धारण किया जाता है तो वह लाइसेंसी द्वारा ही सीधे सम्बंधित विभाग में जमा करवाया जावेगा।

19. यात्रियों की सुविधाओं को मध्यनजर रखते हुए निगम को पूर्ण अधिकार होगा कि लाइसेंसधारी के अलावा उसी आइटम का लाइसेंस उसी प्लेटफार्म / बस स्टैंड पर अन्य फर्म को जारी कर सकेगा, लाइसेंसधारी को इस सम्बन्ध में किसी भी तरह का ऐतराज करने का अधिकार नहीं होगा।

20. यदि निविदादाता के निविदा प्रस्ताव स्वीकार कर लिए जाते है तो निविदादाता को लाइसेंस प्राप्त करने से पूर्व निम्नलिखित प्रपत्र मुख्य प्रबंधक कार्यालय में प्रस्तुत करने होंगे –
    i. निविदादाता के नाम पर जो भी चल एवं अचल सम्पति है उसके प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति अथवा स्वयं के नाम पर कोई चल एवं अचल सम्पति नहीं है तो उसके गारंटर की चल एवं अचल सम्पति के प्रपत्रों की प्रमाणित छायाप्रति।
    ii. निविदादाता के नाम, पते के दस्तावेज की प्रमाणित प्रति (पुष्टि में मतदाता परिचय पत्र / वर्तमान ड्राइविंग लाइसेंस की प्रति / पैन कार्ड / ITR की प्रमाणित छायाप्रति)
    iii. निविदादाता अथवा निविदादाता के गारंटर को 100 /-रू के भारतीय गैर न्यायिक स्टाम्प पर यह शपथ – पत्र भी देना होगा कि जब तक वह निगम का लाइसेंसी रहेगा तब तक बिना निगम अनुमति वह अपनी चल एवं अचल सम्पति का विक्रय नहीं करेगा। यह शपथ – पत्र नोटेरी पब्लिक ऑथोरिटी द्वारा सत्यापित होगा।

21. निविदा प्रस्ताव सील बंद लिफाफे में प्रेषित किये जावेंगे।

22. निविदा प्रस्ताव सरल एवं शुद्ध भाषा में होंगे तथा किसी प्रकार की क़ांट – छांट ना हो। प्रस्ताव पर संस्थान के मालिक / अधिकृत व्यक्ति के स्पष्ठ हस्ताक्षर होने चाहिए तथा यह भी स्पष्ठ किया जाना चाहिए कि हस्ताक्षरकर्ता मालिक है या पार्टनर। अधिकृत व्यक्ति अपना पद व हैसियत भी लिखे।

23. निविदादाता द्वारा दिए गए कोई भी सशर्त प्रस्ताव निगम द्वारा स्वीकार नहीं होंगे।

24. यदि किसी भी संस्थान / फर्म / व्यक्ति के विरुद्ध निगम की राशि बकाया / विचाराधीन है तो उसके प्रस्ताव को अस्वीकार करने का अधिकार निगम को होगा।

25. सलंग्न घोषणा – पत्र को भरकर निविदा प्रस्ताव प्रपत्र के साथ सलंग्न करें।

26. मैंने उपर्युक्त शर्तों को पढ़कर / सुनकर / समझकर हस्ताक्षर किये है। उक्त शर्तें मुझे स्वीकार है।

निविदादाता के हस्ताक्षर मय मोहर